माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत दिनांक–01.06.2019 को हर घर नल–जल एवं दिनांक– 04.06.2019 को शौचालय निर्माण निश्चय योजना की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

हर घर नल–जल एवं पक्की नाली–गली निश्चय योजनाः–

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हर घर नल–जल योजना एवं पक्की नाली–गली योजना के प्रगति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को अवगत कराया गया।

समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निदेश दिए गए हैः–

1. नल–जल योजना के कार्यान्वयन हेतु पाईप बिछाने के लिए काटे गए पथों का तुरन्त restoration किया जाय।

2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल संकट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया एवं जल संकट के और बढ़ने की संभावना व्यक्त की गयी है। विभाग द्वारा जल संकट के तत्कालिक निदान हेतु सभी नगर निकायों में प्रत्येक दो वार्डों पर एक वाटर टैंकर क्रय किया जा रहा है। प्रमंडलीय मुख्यालय वाले नगर निकाय में दो अतिरिक्त वाटर टैंकर क्रय किया जा रहा है। साथ ही पेयजल संकट से ग्रस्त प्रत्येक वार्ड में stand post सहित अधिकतम दो submersible पम्प अधिष्ठापित किया जा रहा है। इस क्रम में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 96 submersible पम्प अधिष्ठापित करने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

3. जल संकट के निदान हेतु दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत सभी नगर निकायों से पोखर/तालाब की उड़ाही एवं जीर्णोद्धार तथा वृक्षारोपण की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में दरभंगा नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पोखर/तालाबों के उड़ाही की योजना स्वीकृत की गयी है, परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में नागरिक सुविधा मद में बजट उपबंध की कमी के कारण इस कार्य में बाधा आ रही है।

4. उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पेयजल की आसन्न समस्या के आलोक में शहरी निकायों में लगे चापाकल को भी चालू हालत में रखने का निदेश दिया गया। सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निकायों में पी0एच0ई0डी0 द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में जो योजनाएँ O&M के अन्तर्गत है, उनका O&M पी0एच0ई0डी0 द्वारा निविदा के शर्त्तों के अनुरूप किया जायेगा एवं O&M की अवधि समाप्त होने के उपरान्त संबंधित नगर निकाय द्वारा इन योजनाओं का O&M किया जाएगा।

5. हर घर नल–जल योजना एवं पक्की नाली–गली संबंधी निश्चय योजना को निश्चित तौर पर जुन–जुलाई '2020 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

6. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पानी के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में कृत कार्रवाई के संबंध में पृच्छा की गई, जिसके आलोक में बताया गया कि मॉडल

प्राक्कलन में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक component का प्रावधान हैं, जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

7. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र में लगाये जाने वाले संयंत्र के backwash के सही निपटान हेतु कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि उक्त backwash water अन्य भू–जल को प्रभावित नहीं कर सके।

8. विभाग द्वारा Asian Development Bank से प्राप्त ऋण से भागलपुर में कराये जा रहे योजना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्त्तमान संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण उनके एकरारनामा को विखंडित करते हुए नए सिरे से निविदा कर कार्य कराना होगा।

9. विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में नई बसावटों के बसने के कारण हर घर नल–जल योजना एवं पक्की नाली–गली योजनाओं में वृद्धि संभावित है।

10. प्रधान सचिव को यह भी निदेश दिया गया कि घरों से निकलने वाले waste water के शोधन के उपरान्त सिंचाई में उपयोग करने हेतु जल संसाधन विभाग से आवश्यक समन्वय किया जाय।

11. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि हर घर नल–जल एवं पक्की नाली–गली निश्चय योजना के लाभ से कोई घर वंचित नहीं हो पाये।

12. प्रधान सचिव द्वारा अनुरोध किया गया कि शहरी जलापूर्ति योजना में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अनुरूप विद्युत दर का प्रावधान किया जाय। निदेश दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग उर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में प्रस्ताव ला सकता है।

शौचालय निर्माण निश्चय योजनाः–

1. विभागीय प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना का कुल लक्ष्य 4,95,410 है, जिसमें से 4,58,186 परिवारों को शौचालय बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है इनमें से 3,58,062 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराया जा चुका है शेष बचे हुए 1,00,124 परिवारों का व्यक्तिगत शौचालय निर्माणाधीन है, जिन्हें जुलाई 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 37,224 परिवार को शौचालय बनाने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों को सामुदायिक शौचालय में एक सीट प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

2. विभाग द्वारा यह बताया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य सचिव, बिहार सामुदायिक शौचालय हेतु जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध करायें ताकि ससमय सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा सके।

3. विभागीय प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि नगर परिषद बगहा में 1500 ऐसे परिवार हैं जो रेलवे के जमीन पर बसे हुए हैं एवं Mobile Toilet लगाने हेतु भी जमीन

उपलब्ध नहीं है। अतः नगर परिषद बगहा एवं कुछ अन्य नगर निकायों में वैसी स्थिति में चार–पाँच परिवारों को मिलाकर एक Community Toilet अथवा Mobile Toilet उपलब्ध कराना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित किया गया कि यह अपवाद के रूप में किया जाय। शौचालय निर्माण के साथ–साथ लोगों को उनके उपयोग हेतु प्रोत्साहित भी करें।

4. शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना को 15 अगस्त 2019 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

5. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश/सुझाव दिया गया कि वैसे परिवार जो सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं उन्हें Mobile Toilet अथवा Affordable Housing Policy के तहत् आवास निर्माण कर इन सभी परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाय। इसके लिए आवश्यक हो तो शहर के बाहर जमीन का अधिग्रहण भी किया जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

11/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–09/2019 3454 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 09/7/19

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय नोडल पदाधिकारी, नल–जल निश्चय योजना/विभागीय नोडल पदाधिकारी, नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना/ विभागीय नोडल पदाधिकारी शौचालय निर्माण/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\Section - 2 (19-20)\Anand\Meeting.docx